



प्रेस नोट

थाना – बाबूगढ़

दिनांक 27.03.2024

थाना बाबूगढ़ पुलिस ने थाने के मु०अ०सं० 99/2024 धारा 307, 504 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त को किया गिरफ्तार , जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त अवैध छुरी बरामद ।

कार्यवाही:-

हापुड़ पुलिस द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बाबूगढ़ पुलिस द्वारा थाने के मु०अ०सं० 99/2024 धारा 307,504 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त को आरएस फार्म हाउस के पास से गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त अवैध छुरी बरामद हुई है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

संजू कुमार उर्फ बाबा पुत्र सुभाष निवासी कस्बा बाबूगढ़ छावनी थाना बाबूगढ़ जनपद हापुड़ ।

बरामदगी का विवरण:-

घटना में प्रयुक्त अवैध छुरी ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ०नि० श्री सुधीर कुमार थाना बाबूगढ़ जनपद हापुड़ ।
2. है०का० 603 लोकेश कुमार थाना बाबूगढ़ जनपद हापुड़ ।
3. है०का० 778 ईशान्त सिंह थाना बाबूगढ़ जनपद हापुड़ ।